

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वन्नन भवन, भोपाल—462004

ब्रम्मांक एफ 73-29/2011/20-3

भोपाल, दिनांक .....

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :-

अशासकीय शिक्षण संस्था संस्कृति एन इंग्लिश मॉडियम स्कूल, अशोक नगर, म0प्र0 को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण—पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय—समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, अशोकनगर (म0प्र0) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में समिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय—समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(के.आर.उपाध्याय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

02/28/6111

Secretary  
Amrit Shiksha Samiti  
Punjabi Colony, Ashoknagar (M.P.)

Secretary  
Amrit Shiksha Samiti  
Ashoknagar

११२११  
भाषा एक क्रमांक एफ ७३-२९/२०११/२०-३

२४/६/११

प्रतिलिपि :-

सचिव, अशोक नगर, मध्य प्रदेश संस्था संस्कृति एन इग्लिश भीड़ियम स्कूल  
अशोक नगर, मध्य प्रदेश को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता/मान्यता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


- (1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं,  
इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत  
आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने  
पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा  
समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या  
प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा  
जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

२-  
३-  
४-

आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र.  
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश।  
ऑफिसर बुफ.

अवश्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

२४/६/११



Secretary  
Amrit Shiksha Samiti  
Punjabi Colony, Ashoknagar (M.P.)

Multi-Color A4 Paper  
Bhagwan Singhania  
Amaroknagar (M.P.)  
Amit Shiksha Samiti  
Secretariat